

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी
फौ0वा0सं0-933 सन् 2022
प्रमोद कुमार बनाम श्रीमती पुष्पा शाह

14.09.2023

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। परिवादी को उपस्थिति व पैरवी करने हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अग्रिम तिथि पर परिवादी की अनुपस्थिति/पैरवी न किये जाने की स्थिति में विधिनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

पत्रावली अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक-30.09.2023 को पेश हो।

(चैरब बत्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी।